

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचेव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर एवं सोनभद्र।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: ०८/ फरवरी, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूखे से प्रभावित परिवारों को अहैतुक सहायता प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या- 32-7/2014-एनडीएम-प्रथम, दिनांक 08.04.2015 के प्रस्तर-1 (30) में आपदा से गम्भीर रूप से प्रभावित परिवारों के लिए जीवन निर्वाह हेतु अहैतुक सहायता दिये जाने के लिये मानक एवं दरों का निर्धारण किया गया है तथा प्रस्तर-6(2) में केवल लघु एवं सीमान्त कृषकों के पशुओं के लिए चारे से सम्बन्धित निम्न प्राविधान है:-

(2) पशु कैम्पों में चारा/दाने, पानी व दवाओं की आपूर्ति का प्राविधान	<ul style="list-style-type: none"> ❖ बड़े पशु-₹0 70/- प्रति दिवस। ❖ छोटे पशु-₹0 35/- प्रति दिवस। ❖ राहत देने की समयावधि जैसा कि एस0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आंकलन करें। ❖ सहायता की समान्य समयावधि 30 दिवस (डिफाल्ट पीरियड) तक होगी जिसे पहले चरण में 60 दिनों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है और सूखा की भीषण स्थिति में अधिकतम 90 दिवस तक किया जा सकता है। व्यय की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि की कुल धनराशि से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। ❖ जैसा कि राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति वास्तविक आवश्यकता का आंकलन करें और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल संस्तुति करें। इस शर्त के साथ कि पशुओं का आंकलन पशुधन गणना के अनुसार हो तथा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दवाइयों तथा टीकाकरण की आवश्यकता अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से सम्बन्धित है।
---	---

2- उक्त प्राविधिक के अन्तर्गत सूखे से प्रभावित परिवारों को जीवन निर्वाह हेतु अहैतुक सहायता दिये जाने और प्रभावित पशुओं के केवल चारे के लिये भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार धनराशि व्यय किये जाने के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रु0 3,53,00,000/- (रूपये तीन करोड़ तिरपन लाख मात्र) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम	प्रस्तावित धनराशि (रूपये में)
1	मीरजापुर, पत्र संख्या-530, दिनांक 14.01.2016	1,53,00,000/- (रु0 90,00,000/- जीवन निर्वाह हेतु तथा रु0 63,00,000/- चारे हेतु)
2	सोनभद्र, पत्र संख्या-900, दिनांक 14.01.2016	200,00,000/- (रु0 1,00,00,000/- जीवन निर्वाह हेतु तथा रु0 1,00,00,000/- चारे हेतु)
	कुल योग रु0 (रूपये तीन करोड़ तिरपन लाख मात्र)	3,53,00,000/-

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय' के नामे डाला जायेगा।

3- इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेत्तर यह सुनिश्चित किया जाय कि राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं- अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बादल फटने, हिम स्खलन, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के लिये ही किया जाय। सामान्य दुर्घटनाओं यथा- सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा। यदि टी0आर0-27 से धनराशि आहरित की गयी है तो उसका समायोजन अवश्य कर लिया जाय।

4- राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरों निर्धारित हैं तथा जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी की गयी है का अनुपालन अवश्य किया जाये।

5- उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित मानक मर्दों एवं दरों के अनुसार ही दिया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मर्दों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाये। शासनादेश संख्या-4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक 24.09.2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दैवी आपदा की सभी मर्दों में दिये जाने वाले ₹0 2000/- तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा ₹0 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाऊण्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाये।

6- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निम्यानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7- राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

8- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20.06.2015 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.य०पी०.एनआईसी०.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-य०ओ०-२/१-११-२०१३-रा०-११, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समाप्त/दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

10- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

11- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव ।

संख्या:- ७७ (1)/1-10-2016, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, ३०प्र० इलाहाबाद ।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, ३०प्र० लखनऊ ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव राजस्व ३०प्र० शासन ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, ३०प्र०।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू०पी०.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-५
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(मदन मोहन)
अनु सचिव ।